

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या : 36/2020 प्रार्थनापत्र

पीठासीन अधिकारी : दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

अनवान

1. सुरेश कुमार पिता रतनलाल महाजन नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. विष्णु कुमार पिता रतनलाल महाजन नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सुशिल कुमार पिता रतनलाल महाजन नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मंजु पिता रतनलाल महाजन नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सन्नु पिता रतनलाल महाजन नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. रूकमणी बेवा रतनलाल महाजन नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

— प्रार्थी गण

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

- 2 श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक 16-10-20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 01.02.2019 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा रूपाहेलीखुर्द पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 549 , 550 , 551 , 552 , 553 कुल खसरा 05 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एवं प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आराजी नम्बर 548 बिलानाम काबिल काश्त से अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। आराजी नम्बर 548 रकबा 01 बीघा बी.ब. बिलानाम काबिल काश्त के मेर के सहारे-सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेडा  
जिला भीलवाड़ा (राज)

दिनांक 23.09.2020 को प्रकरण में हल्का पटवारी रूपाहेलीखुर्द द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, एवं जमाबन्दी शामिल निसल किये गये।

प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा रूपाहेलीखुर्द के आराजी नं० 548 रकबा 1-00 बीघा में से 0-03-10 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबन्धि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी रूपाहेलीखुर्द की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए हैं जो निम्न हैं -

1. प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंचने हेतु गत 10-20 वर्षों से उक्त आराजी नं० 548 का रास्ते के लिए उपयोग करता आ रहा है। उक्त प्रस्तावित आराजी में रास्ते का उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्योंकि खातेदारन को श्री नारायण पिता मगनीराम कुमातव निवासी रूपाहेलीखुर्द के डराने से रास्ते का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस बाबत नारायण के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा रही है।
2. प्रार्थी को उक्त खातेदारी भूमि में पहुंचने हेतु कोई रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं है तथा न ही वैकल्पिक रास्ता है।
3. ग्राम रूपाहेलीखुर्द में खातेदारी आराजी नं० 549, 550, 551, 552, 553 कुल खसरा 05 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा में पहुंचने हेतु ग्राम रूपाहेलीखुर्द की आ०न० 548 रकबा 1-00 बीघा किस्म बी.ब. बिलानाम काबिल काश्त में से 0-03-10 बीघा रास्ता चाहा गया है।
4. प्रकरण में प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 27604/- प्रति बीघा से 0-03-10 बीघा भूमि की मालियत 4831 बनती है।
5. प्रार्थी के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग है।

मेने पत्रावली का उद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था। इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा रूपाहेलीखुर्द की आराजी नं० 548 रकबा 1-00 बीघा में से 0-03-10 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी बनड़  
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। एवं मौजा रूपाहेलीखुर्द की आराजी नं० 548 रकबा 1-00 बीघा मे से 0-03-10 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त रूपाहेलीखुर्द की आराजी नं० 548 रकबा 1-00 बीघा मे से 0-03-10 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रदर्श किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी बबराणा के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा रूपाहेलीखुर्द पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा स्थित आराजी नं० 549 , 550 , 551 , 552 , 553 कुल खसरा 05 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा मे पहुंचने हेतू ग्राम रूपाहेलीखुर्द की आ०न० 548 रकबा 1-00 बीघा किस्म बी.ब. बिलानाम काबिल काश्त मे से 0-03-10 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी०एल०सी० की दरों की दुगुनी राशि (0-03-10 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

*WR*

(दिवांशु शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा जिला भीलवाड़ा